न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. गजानन्द पुत्र बहादुर सिंह जाति ब्राहम्ण उम्र 55 वर्ष साकिन मुण्डा जिला हनुमानगढ हाल साधुवाली जिला श्रीगंगानगर। मो. 8219261027

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. एंव 151 सीपीसी

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की वादी गजानंद पुत्र बहादुर सिंह जाति ब्राह्मण साकिन मुंडा जिला हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को चक 25 बीएलडी मुरब्बा नंबर 176/13 की 25 बीघा अनकमांड जमीन बतौर विशेष आवंटन दिनांक 18.03.99 को आवंटित हुई थी। 2013 में वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए थे।

वादी का कहना है कि आवंटन आदेश में गलती से उसका नाम गजानंद सिंह दर्ज हो गया है जबकि उसका असल नाम गजानंद है। प्रार्थी द्वारा सबूत के तौर पर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं–

1. आवंटन हेतु आवेदन पत्र संख्या 5216 दिनांक 31.12.96।
2. सहायक आयुक्त उपनिवेशन उपनिवेशन छतरगढ़ का फैसला दिनांक 18.03.99।
3. 35 प्रतिशत राशि भरवाने का चालान दिनांक 18.03.99।

उक्त दस्तावेजों का अध्ययन किया गया इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा गजानंद के तौर पर ही आवेदन किया गया था और 18.03.99 का सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ का आदेश भी गजानंद के नाम से ही जारी हुआ है। लेकिन इस निर्णय की अनुपालन में जारी की गई गैर खातेदारी सनद दिनांक 30.07.99 में वादी का नाम गजानंद सिंह दर्ज कर दिया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह समाधान है कि विवादित आराजी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गजानंद सिंह की जगह गजानंद दर्ज किया जाए। बाकी सभी प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:53 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)